NON-TEACHING WORK BY THE TEACHERS

578 SH. BALRAJ KUNDU, M.L.A.: Will the Education Minister be pleased to state the reasons for which the teachers working in the schools of the State are being assigned non-teaching work against the rules and despite the strong instructions of the Hon'ble Supreme Court?

REPLY

SH. KANWAR PAL, EDUCATION MINISTER, HARYANA

Sir, the Government has decided that in addition to the primary duty of teaching, teachers would be required to undertake only statutory duties like election and census work. Any other work which the teachers may be asked to do, the Deputy Commissioners or any other Department, will seek the prior approval of the Director General School Education (who would then ensure that there is the least adverse effect on the teaching). The instructions in this regard were issued vide No. 15/91-2005- Co (4) dated 12.09.2005 to all the Administrative Secretaries, Heads of Departments and Deputy Commissioners in the State

Further, it has also been decided that in any case, for any duty other than teaching, which the teacher may be assigned/ required to undertake, the teachers should be asked to do this duty, only after school hours, and they should be paid honorarium suitably by the concerned department for undertaking the work so allowed by the Education Department.

. . . .

अध्यापकों द्वारा गैर-अध्यापन कार्य करना

578 श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए.:—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि नियमों के खिलाफ तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बावजूद राज्य के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर—अध्यापन कार्य दिए जाने के कारण क्या हैं?

उत्तर

श्री कंवर पाल, शिक्षामंत्री हरियाणा

महोदय, सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों को शिक्षण के प्राथमिक कर्तव्य के अतिरिक्त केवल चुनाव और जनगणना कार्य जैसे वैधानिक कर्तव्यों का ही पालन करना होगा। कोई अन्य कार्य जो शिक्षकों को करने के लिए कहा जा सकता है, उपायुक्त या कोई अन्य विभाग, महानिदेशक स्कूल शिक्षा (जो तब सुनिश्चित करेगा कि शिक्षण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव हो) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस संबंध में हिदायतें निर्देश संख्या 15/91—2005—सी0ओ0(4) दिनांक 12.09.2005 के तहत राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागध्यक्षों और उपायुक्तों को जारी किए गए थे।

इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी मामले में, शिक्षण के अलावा अन्य किसी भी कर्तव्य के लिए, जो शिक्षक को सोंपा जा सकता है/करने के लिए आवश्यक है शिक्षकों को स्कूल के समय के बाद ही इस कर्तव्य को करने के लिए कहा जाना चाहिए, शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार अनुमत कार्य करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए।

....